

फर्द अहकाम

बनाम

सीताराम

बाबूलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

आजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र

205/2024

विशेष वि

आज्ञा विस्तृत रूप से


क्रम संख्या
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

06.03.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 14 के विरुद्ध मूलवाद में सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 19, 55, 56, 8 कुल किता 4 कुल रकबा 13.5681 है० व ख०नं० 20, 57 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6575 है० व ख०नं० 18 रकबा 3.2118 स्थित ग्राम मदनपुरा पटवार हल्का हंसमहल बांसखोह तह० बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 229/2024 उनवान बाबूलाल बनाम सीताराम के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।


सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर